<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 02/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ टीकेआईएएल-त्रिवेन्द्रम/सीपी-III/2022-27

आदेश संख्या 02/2024-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम (टीआरवी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 21 जून, 2024

उड़ान भवन
तृतीय तल
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के संबंध में संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई का ट्रूअप

4.16.1 पैरा 4.4.9 (तालिका 12) में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए यात्री यातायात और एटीएम को मानना।

4.16.2 तालिका 25 में दिए गए विवरण के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों और परिसंपत्तियों के वैमानिक आबंटन को मानना।

4.16.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.6.6 (तालिका 30) में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के संशोधित आबंटन को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास का पुन: परिकलन करना।

4.16.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.7.1 (तालिका 31) में दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लिए आरएबी को मानना।

4.16.5 पैरा 4.7.5 (तालिका 32) में दिए गए विवरण के अनुसार टीआरवी के लिए माने गए प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.16.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.8.16 में दिए गए विवरण के अनुसार एफआरओआर को मानना।

4.16.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए भूमि की लागत पर प्रतिलाभ को न मानना।

4.16.8 टीआरवी के लिए कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार संलग्नक-3 में दिया गया है और अध्ययन परिशिष्ट -2 के रूप में संलग्न है) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार और द्वितीय नियंत्रण अवधि तथा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए तालिका 46 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च और उनके आबंटन को मानना।

4.16.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.11.10 (तालिका 52) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.16.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.12.7 (तालिका 56) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

4.16.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के ट्रू-अप के लिए पैरा 4.13.4 (तालिका 59) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

4.16.12 तालिका 60 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के ट्रू-अप के लिए 789.29 करोड़ रूपए की कम वसूली (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार) वाले वर्तमान मूल्य को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2022 तक की सीओडी के बाद की अवधि के लिए टीकेआईएएल का ट्रू-अप

5.12.1 तालिका 67 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए आरएबी और मूल्यह्रास को मानना।

5.12.2 तालिका 68 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एफआरओआर को मानना।

5.12.3 तालिका 75 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

5.12.4 तालिका 79 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

5.12.5 तालिका 81 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना

5.12.6 तालिका 83 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना

5.12.7 टीकेआईएएल के ट्रू-अप के लिए तालिका 85 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अविध के लिए 58.43 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

6.6.1 तालिका 95 के अनुसार टीआरवी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को माननाा।

6.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

7.10.1 परिसंपत्तियों के आंबटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंड के अनुरूप और अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदन किए अनुसार 90% : 10% के टर्मिनल क्षेत्र अनुपात को मानना।

7.10.2 पैरा 7.3.147 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना लेकिन वित्तीय भत्ते की अनुमति न देना।

7.10.3 तालिका 158 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

7.10.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.10.5 पैरा 7.3.150 और 7.3.149 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर क्रमश: आरएबी/ सीडब्लयूआईपी और स्टांप ड्यूटी पर जीएसटी को मानना।

7.10.6 केन्दीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (पैरा 7.3.150 में स्पष्ट किए अनुसार)।

7.10.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय कार्यक्षमता और औचित्य का मूल्यांकन करने के बाद वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.10.8 तालिका 159 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

7.10.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.10.10 टीआरवी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 160 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।

7.10.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.6.1 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

8.6.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामले में विचार किए जा रहे लक्ष्य प्राप्ति अनुपात के अनुरूप 48:52 के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के काल्पनिक ऋृण को मानना।

8.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋृण की लागत को मानना।

8.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋृण की लागत और प्राप्ति अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.6.1   तालिका 169 के अनुसार मुद्रा-स्फीति दर को मानना।

अध्याय 10: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

10.6.1 तालिका 206 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान टीकेआईएएल द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

11.6.1 टीआरवी के लिए तालिका 213 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.6.2 यदि गैर वैमानिक राजस्व प्राधिकरण द्वारा तालिका 213 में प्रस्तावित राजस्व से कम हो तो अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय इसे टू-अप किया जाएगा।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.6.1 टीआरवी के लिए तालिका 216 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.5.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए टीआरवी की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

13.5.2 टीकेआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीआरवी पर सेवा की गुणवत्ता पूरी तृतीय नियंत्रण अवधि के रियायत करार में इंगित निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

14.6.1 तालिका 220 के अनुसार टीकेआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना तथा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसे टू-अप किया जाएगा।

14.6.2 तालिका 221 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टीकेआईएएल के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.3 इस टैरिफ आदेश के संलग्नक **I -** बी में बताए अनुसार 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी वीटीपी को मानना।

14.6.4 टीकेआईएएल को यह निदेश दिया जाता है कि वह हितधारकों और ऐरा की सूचना के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के तहत अर्जित लैंडिंग प्रभार, वहन किए गए व्यय और प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए सुविचारित निर्णय लिया जा सके। प्राधिकरण टीकेआईएएल को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निदेश देता है कि इकाओ के भेदभाव न करने संबंधी सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

14.6.5 टीकेआईएएल को यह निदेश दिया जाता है कि वह ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करे और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करे।

14.6.6 टीकेआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक **-I ए,** बी और सी के अनुसार टैरिफ दर कार्ड को मानना।

16 *आदेश*

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-I में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तिरूवंनतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.1.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.1.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

16.1.4 यह आदेश 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।

16.1.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार प्राधिकरण को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी), ऐरा

सेवामें,

श्री राहुल भटकोटी,
मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी,
टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
तिरूवंनतपुरम

प्रतिलिपि,

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए
3. **अध्यक्ष,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 13 मार्च, 2024 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)